

कार्यालय : सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया  
(मध्य प्रमंडल कार्यालय परिसर, गया)

ज्ञापक - 404

गया, दिनांक - 08.09.18

प्रेषित,


प्रो श्रीमती निहारिका सिंह, पति श्री रंजीत कुमार सिंह  
नेसर्स न्यू भगवान मेडिकल हॉल,  
टेकारी, गया।

विषय- आपके प्रतिष्ठान में व्याप्त अनियमितताओं के आलोक में अनुज्ञप्तियों के निलंबन के संबंध में।

संदर्भ- औषधि निरीक्षक, टेकारी अनुमंडल, गया का पत्रांक 45, दिनांक 10.04.17 एवं इस कार्यालय का स्पष्टीकरण ज्ञापक 219, दिनांक 17.05.2017, एवं स्मार ज्ञापक 847, दिनांक 11.11.17 एवं अंतिम स्मार ज्ञापक 257, दिनांक 23.06.18 आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयक, दिनांक 10.04.17 को औषधि निरीक्षक, टेकारी अनुमंडल, गया के द्वारा आपके प्रतिष्ठान के निरीक्षण के क्रम में पाई गई अनियमितताओं के आलोक में इस कार्यालय के स्पष्टीकरण ज्ञापक 219, दिनांक 17.05.2017 के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेखों की मांग की गई थी। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा न तो स्पष्टीकरण एवं न ही वांछित अभिलेख अयोधरस्तकारी कार्यालय में समर्पित किया गया, तब इस कार्यालय के स्मार ज्ञापक 847, दिनांक 11.11.17 से आपको स्मारित करते हुए स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेख समर्पित करने का पुनः अनुरोध किया गया, इसके बावजूद आपके द्वारा वांछित अभिलेख एवं स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। फलतः इस कार्यालय के ज्ञापक 257, दिनांक 23.06.18 से अंतिम रूप से स्मारित करते हुए स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेख समर्पित करने का पुनः अनुरोध किया गया, किन्तु बार-बार अनुरोध किए जाने एवं अवसर दिए जाने के बावजूद आपके द्वारा न तो स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और न ही वांछित अभिलेख। आपका उपरोक्त कृत्य न सिर्फ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि औषधि नियमों के प्रति आपकी आस्था एवं निष्ठा को भी दर्शाता है।

अतएव, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 66(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति संख्या GR-07/2011 प्रपत्र 20 एवं GR-07A/2011 प्रपत्र 21 निर्गत तिथि 25.03.2011 को पत्र प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में औषधियों का क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण किया जाना अथवा है एवं निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान खुला चले जाने अथवा क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण करते पाए जाने पर संस्थान की अनुज्ञप्तियों को रद्द करते हुए नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी। निदेश दिया जाता है कि निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान में कार्यरत सुयोग्य व्यक्ति को अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं सभी वांछित अभिलेखों के साथ कार्यालय में सदैव प्रस्तुत करें।

  
सहायक औषधि नियंत्रक  
औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया

08.09.18